न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 77/2013

1 प्रभु उम्र 55 साल पुत्र बिड़दुराम
2 रामनाथ उम्र 45 साल पुत्र बिड़दुराम जाति माली निवासीगण धणावता तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.
3 धर्मपाल पुत्र दलाराम उम्र 41 साल जाति माली निवासी वार्ड 5 उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।

अपीलांट

बनाम

1 बुद्धराम उम्र 60 वर्ष पुत्र बिड़दुराम जाति माली निवासी धणावता तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।
2 तहसीलदार, तहसील उदयपुरवाटी।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत आदेश 43 1(आर) सीपीसी आदेश 08.07.2013 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी उनवानी मुकदमा बुद्धराम बनाम प्रभु वगैरह आवेदन पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मु.नं. 226/2013 आगामी पेशी 02.09.2013

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री उम्मेदराज सैनी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री फूलचन्द सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः—3.7.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 226/2013 में पारित निर्णय दिनांक 02.09.2013 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट ने एक प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा भूमि खसरा नम्बर 1127, 3511/1131 कस्बा उदयपुरवाटी का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने अपीलान्टस के विरूद्ध अन्तरीम अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश से पाबन्द किया है कि कस्बा उदयपुरवाटी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1127 एवं 3511/1131 तथा उसके किसी भी भाग पर निर्माण नहीं करे किसी तरह का दस्तावेज तैयार नहीं करे तथा रिकार्ड व मौके की स्थिति यथावत रखें का जो आदेश इक तरफा रूप से पारित किया है। विचारण न्यायालय ने अपीलान्टस को बिना नोटिस दिये तथा इकतरफा रूप से आदेश पारित किया है जबकि कानूनी रूप से अपीलान्टस नम्बर 1, 2 तथा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूं)

रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 आपस में सगे भाई है तथा विवादित भूमि शामलाती है। ऐसी स्थिति में अपीलान्टस नम्बर 1 व 2 के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश पारित नहीं किया जा सकता। विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 की ओर से प्रस्तुत दावा बाबत घोषणार्थ एवं स्थायी निषेधाज्ञा के दावे के साथ प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा के आवेदन पत्र में आदेश पारित किया है तबकि रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने दावा प्रस्तुत किया है तो उसे दावे में बंटवारा की रिलीफ मागनी चाहिए थी। इसलिए दावा टिनेन्ट के खिलाफ टिनेन्ट ने ही सह खातेदार होते हुए घोषणार्थ की डिक्री अपने हक में अपीलान्ट नम्बर 3 के हक में करवाये गये विक्रय पत्र को अवैध व शून्य करवाने की रिलीफ मागी है जबकि एक सह खातेदार अपने हक की भूमि का विक्रय कर सकता है। इसलिए विचारण न्यायालय ने रिकार्ड व दस्तावेज का अवलोकन किये बिना ही दिनांक 08.07.2013 को आदेश पारित करने में भारी कानूनी भूल की है। विचारण न्यायालय ने अपने आदेश में आर्डर 39 नियम 3 की पालना के सन्दर्भ में कोई आदेश नहीं दिया है। इसलिए विचारण न्यायालय का आदेश 08.07.2013 को पारित कानूनी प्रावधानों के खिलाफ होने से निरस्त होने योग्य है। अतः अपीलांटस की ओर से अपील पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 08.07.2013 को निरस्त फरमाया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि कस्बा उदयपुरवाटी की सरहद में भूमि खसरा नम्बर नया 1127 व 3511/1131 स्थित है जो आवेदक व अनावेदक नम्बर 1 व 2 सहखातेदारी की भूमि है जिसका विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। इसलिए सभी सह खातेदारान का शामलाती कब्जा काश्त है लेकिन उपरोक्त भूमि में से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने बिना विभाजन कराये ही भाग विशेष की भूमि का विक्रय पत्र अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में कर दिया एवं आंगे भी विक्रय पत्र करवाने को अमादा है एवं मौके पर लड़ाई झगड़ा होकर शांति भंग होगी इससे व्यथित होकर विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूं)

प्रार्थना पत्र पेश अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय ने अप्रार्थीगण अपीलांट को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कर कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। धारा 212 का अंतिम निस्तारण विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनकर किया जाना शेष है। इससे पूर्व विचारण न्यायालय के विचाराधीन अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप किया जाना विधि सम्मत नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि कस्बा उदयपुरवाटी की सरहद में भूमि खसरा नम्बर नया 1127 व 3511/1131 स्थित है जो आवेदक व अनावेदक नम्बर 1 व 2 सहखातेदारी की भूमि है जिसका विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। इसलिए सभी सह खातेदारान का शामलाती कब्जा काश्त है लेकिन उपरोक्त भूमि में से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने बिना विभाजन कराये ही भाग विशेष की भूमि का विक्रय पत्र अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में कर दिया एवं आगे भी विक्रय पत्र करवाने को अमादा है एवं मौके पर लड़ाई झगड़ा होकर शांति भंग होगी इससे व्यथित होकर विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट प्रार्थना पत्र पेश अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय ने अप्रार्थीगण अपीलांट को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कर कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। धारा 212 का अंतिम निस्तारण विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनकर किया जाना शेष है। इससे पूर्व विचारण न्यायालय के विचाराधीन अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप किया जाना विधि सम्मत नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 3.7.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

(बलदेवाराम [illegible])
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर